राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10794/2023

तारा सोलंकी पत्नी स्वर्गीय श्री अमृत लाल सोलंकी, उम्र लगभग 57 वर्ष, निवासी 61, विवेकानन्द नगर, एम्स, पाल रोड, जोधपुर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर के माध्यम से।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जोधपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा अधिकारी, जोधपुर।
4. अपर निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर।

----प्रतिवादीगण

---

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री राकेश अरोड़ा

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री हेमंत चौधरी, एजीसी

---

**माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा**

**निर्णय (मौखिक)**

**16/04/2024**

1. मृतक कर्मचारी की विधवा याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 09.09.2022 के आदेश (अनुलग्नक 3) के विरुद्ध है, जिसके तहत याचिकाकर्ता के पति के सेवानिवृत्ति लाभों से कथित गबन की राशि की वसूली का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के पति की ग्रेच्युटी, निर्वाह भत्ते के वेतन और निलंबन अवधि के वेतन में अंतर, निलंबन अवधि की वार्षिक ग्रेड वृद्धि, चयन ग्रेड, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति की तिथि से याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु तक नियमित पेंशन का भुगतान करने और याचिकाकर्ता को उसके पति की मृत्यु की तिथि से बकाया राशि के साथ पारिवारिक पेंशन का भुगतान 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की गई है।

2. मामले के सुसंगत तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता के पति श्री अमृतलाल सोलंकी ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। वे 30.09.2010 को सेवानिवृत्त हुए तथा 24.12.2021 को उनकी मृत्यु हो गई।

2.1 याचिकाकर्ता के पति व अन्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी, जोधपुर में एफआईआर संख्या 30/2006 दर्ज हुई, जिसमें जांच के पश्चात विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामले, जोधपुर के समक्ष चालान पेश किया गया, जहां सुनवाई चल रही है।

2.2 उक्त आपराधिक मामले के संबंध में याचिकाकर्ता के पति को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किया गया। याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु होने तक विभागीय जांच भी पूरी नहीं हो सकी।

2.3. दिनांक 09.09.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा एक आदेश पारित किया गया। विभागीय जांच समाप्त कर दी गई। साथ ही निलंबन की अवधि को नियमित माना गया तथा निलंबन अवधि के दौरान उसे सभी लाभों का हकदार माना गया। यह भी निर्देश दिया गया कि गबन की राशि याचिकाकर्ता के पति के सेवानिवृत्ति लाभों से वसूल की जाएगी।

2.4 याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु के पश्चात दिनांक 10.03.2022 के आदेश द्वारा उसके विरुद्ध उपरोक्त मामले में आपराधिक कार्यवाही भी समाप्त कर दी गई तथा याचिकाकर्ता ने अपने पति के सेवा लाभों के साथ-साथ पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए प्रतिवादियों को एक आवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवादियों ने आवश्यक कार्रवाई नहीं की। इसलिए वर्तमान रिट याचिका।

3. जवाब में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि श्री अमृतलाल सोलंकी 6.9.2003 से 22.1.2005 की अवधि में वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी सह बी.ई.ई.ओ.ओसियां के पद पर पदस्थ थे, तथा उनके पास भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से ठेकेदार द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत गेहूं वितरण की देखरेख का प्रभार था। तथापि, श्री अमृतलाल सोलंकी ने योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, अनियमितताएं कीं तथा ठेकेदार के साथ मिलीभगत करके 7182.50 क्विंटल गेहूं का गबन किया। उक्त मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जांच की तथा 1,34,74,241/- रुपए मूल्य के गेहूं का गबन पाया गया तथा श्री अमृतलाल सोलंकी एवं 9 अन्य व्यक्ति मामले में संलिप्त पाए गए।

3.1. प्रस्तुत है कि जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि जांच के दौरान याचिकाकर्ता के पति न तो जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए और न ही कोई

जवाब, बचाव/साक्ष्य/गवाह आदि प्रस्तुत किया। चूंकि याचिकाकर्ता के पति का देहांत 24.12.2021 को हो गया, अतः राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 16.3.1998 द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी परिस्थितियों के संबंध में याचिकाकर्ता के पति के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही समाप्त कर दी गई। याचिकाकर्ता के पति द्वारा किए गए गबन से राज्य कोष को हुई हानि के संबंध में यह भी आदेश दिया गया कि सेवानिवृत्ति लाभों से वसूली की जाएगी।

3.2. मामले की यह स्वीकृत स्थिति है कि राज्य सरकार/कार्मिक विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए वैधानिक प्रावधानों और दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वर्गीय श्री अमृतलाल सोलंकी के सेवानिवृत्ति लाभों से गबन की गई राशि की वसूली अभी तक नहीं की गई है। ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता द्वारा इस समय-पूर्व चरण में दावा की गई राहत संधारणीय नहीं है। मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को अनंतिम पेंशन देने का आदेश, साथ ही उत्तर देने वाले प्रतिवादियों के कृत्य और कार्रवाइयां पूरी तरह से कानूनी, वैध और न्यायोचित हैं। इसलिए, याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने विद्वान वकीलों की प्रतिस्पर्धी दलीलें सुनी हैं और केस फाइल का अवलोकन किया है।

5. मैं अपनी राय देने के लिए आगे बढ़ूंगा और इसके लिए अपने कारणों को बाद के पैराग्राफ में दर्ज करूंगा।

6. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विधवा को मिलने वाला सेवानिवृत्ति लाभ/पारिवारिक पेंशन दान नहीं है, बल्कि कर्मचारी द्वारा राज्य को दी गई सेवाओं से अर्जित आय है। इसे राज्य की दया या कृपा के रूप में देखना न्याय का मखौल होगा। यहां एक ऐसा मामला है, जहां विडंबना यह है कि मृतक कर्मचारी को उसके जीवनकाल में पेंशन का लाभ दिया जा रहा था, हालांकि यह अस्थायी आधार पर था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा को गरीबी में जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि उसे पारिवारिक पेंशन इस आधार पर देने से मना कर दिया गया है कि विभाग द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही में याचिकाकर्ता के पति के खिलाफ मुकदमा अभी भी लंबित है, इसलिए विभागीय कार्यवाही के संबंध में भी मामला लंबित है। हालांकि, हैरान करने वाली बात यह है कि विभाग एक ही समय में अलग अलग व्यवहार से पेश आ रहा है। इसने याचिकाकर्ता के पति के खिलाफ विभागीय पक्ष में अपना मामला आगे न बढ़ाने का फैसला किया और जहां तक आपराधिक कार्यवाही का सवाल है, उसे रोक दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप, किसी भी मोर्चे पर उसके खिलाफ कोई दोष नहीं पाया

गया। फिर भी, दिनांक 09.09.2022 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक 3) के तहत याचिकाकर्ता के पति के सेवानिवृत्ति लाभों से कथित गबन की राशि की वसूली के निर्देश दिए गए।

7. सुनवाई के दौरान, न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता से यह प्रश्न पूछे जाने पर कि क्या मृतक कर्मचारी से वसूली की जा सकती है, जो कि दोषी पाए बिना सजा दिए जाने के समान है, कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।

8. हालांकि, यह स्थिति उभर कर सामने आई है कि याचिकाकर्ता के मृतक पति के खिलाफ न तो आपराधिक कार्यवाही में और न ही सिविल/विभागीय कार्यवाही में कोई दोष सिद्ध हुआ है।

9. उपरोक्त के अलावा, विभाग इस बात को स्वीकार और अस्वीकार कर रहा है कि दिनांक 09.09.2022 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक 3) के तहत मृतक कर्मचारी का निलंबन रद्द कर दिया गया था और उसमें यह कहा गया है कि वह निलंबन अवधि के दौरान वेतन के सभी बकाया और उससे उत्पन्न होने वाले अन्य परिणामों का हकदार होगा। लेकिन यह विरोधाभासी है कि उसी समय, एक पंक्ति में यह कहा गया है कि गबन के लिए पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभों से वसूली की जाएगी। यह नहीं बताया गया है कि मृतक कर्मचारी के दोषी पाए जाने के बिना सजा का ऐसा रहस्यमय आदेश पारित करने का क्या कारण है।

10. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, दिनांक 09.09.2022 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक 3) कायम नहीं रखा जा सकता। मृतक कर्मचारी के विरुद्ध कोई दोष सिद्ध हुए बिना ही उस पर वसूली की सजा लगाने की सीमा तक इसे अपास्त किया जाता है।

11. अंत में, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि कथित घटना की तारीख 09.09.2005 है, जिसके बाद 02.11.2011 का आरोप-पत्र है। जैसा कि उपरोक्त तिथियों से पता चलता है, 09.09.2022 को विभागीय कार्यवाही समाप्त करने में हुई देरी विभाग के कारण है। इसने लंबित कार्यवाही को शीघ्रता से समाप्त करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया।

12. चाहे जो भी हो, चाहे याचिकाकर्ता या उसके पति या विभाग के कारण देरी बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी देरी किसी दोषी कर्मचारी के खिलाफ़ दोष मानने का आधार नहीं हो सकती। विभाग का तर्क कि याचिकाकर्ता के पति की गैर-भागीदारी के कारण देरी के कारण वह ज़िम्मेदार है, त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि विभाग के पास लंबित कार्यवाही को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का पर्याप्त अवसर था। वास्तव में, घटना की तारीख से लेकर सेवानिवृत्ति तक की लंबी देरी के कारण

विभागीय कार्यवाही को समाप्त कर देना चाहिए। हालाँकि, यह सवाल अभी भी जीवंत है। विचार करने के लिए एक और पहलू यह है कि दशकों तक फैली ऐसी लंबी देरी, मानवीय स्मृति के लुप्त होने और घटनाओं को याद करने और महत्व को दस्तावेज़ित करने में असमर्थता के कारण सिविल और आपराधिक कार्यवाही दोनों को निरर्थक बना देती है। इसके अतिरिक्त, साक्ष्य और गवाहों की गवाही समय के साथ अपनी ताकत और आत्मविश्वास खो देती है, जिससे 20 साल पुरानी घटनाओं से सार्थक परिणाम निकालना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसलिए, इस आधार पर भी आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

13. प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे मृतक कर्मचारी की विधवा को पारिवारिक पेंशन/अन्य सेवा बकाया राशि का भुगतान करें, जो कि उक्त आदेश के अनुसरण में रोक दी गई थी, तथा उस तिथि से बकाया राशि तथा वास्तविक भुगतान की तिथि तक लागू सेवा नियमों के अनुसार ब्याज सहित भुगतान करें।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

**(अरुण मोंगा),जे**

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।